भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2025: स्वायत्तता, शासन और संघवाद पर एक बहस

UPSC प्रासंगिकता -

मुख्य परीक्षा (GS2 और GS3) - शासन (गवर्नेंस) और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता

सुर्ख़ियों में क्यों?

25 सितंबर, 2025 को, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया। इस विधेयक ने छात्रों और शिक्षाविदों से व्यापक विरोध को जन्म दिया है, जिनका तर्क है कि प्रस्तावित बदलाव ISI की **शैक्षणिक स्वायत्तता को कमजोर** करते हैं और इसकी लंबे समय से चली आ रही **शासन संरचना को बदल** देंगे।

पृष्ठभूमि

ISI का विकास

- **भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)** की स्थापना 1931 में **पी.सी. महालनोबिस** ने की थी, जो आधुनिक सांख्यिकी के जनक थे।
- 1932 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत ISI को अपने स्वयं के ज्ञापन (मेमोरेंडम), उपनियमों और विनियमों के माध्यम से स्वायत्तता प्राप्त थी।
- **1959 में**, संसद ने इसे **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI)** के रूप में मान्यता दी, जिसने भारत की सांख्यिकीय क्षमता को आकार देने में इसकी भूमिका को स्वीकार किया।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

ISI का राष्ट्रीय योगदान

- ISI ने **बंगाल पुनर्जागरण** और भारत की प्रारंभिक **विकास योजना** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO)**—जो भारत के डेटा इकोसिस्टम की रीढ़ है—की अवधारणा ISI में ही तैयार की गई थी।
- इसने सी.आर. राव और एस.आर.एस. वर्धमान जैसे विश्व प्रसिद्ध सांख्यिकीविदों को तैयार किया है।

समकालीन प्रोफाइल

- ISI वर्तमान में छह केंद्रों में संचालित होता है, जिसमें 1,200 छात्र हैं, जो अत्यधिक विशिष्ट कार्यक्रम प्रदान करते हैं जैसे:
    - सांख्यिकी (Statistics)
    - गणित (Mathematics)
    - मात्रात्मक अर्थशास्त्र (Quantitative Economics)

- क्रिप्टोलॉजी (Cryptology)
- कंप्यूटर विज्ञान (Computer Science)
- ऑपरेशंस रिसर्च (Operations Research), आदि।

शिक्षाविद् विरोध क्यों कर रहे हैं?

1. शैक्षणिक स्वायत्तता का ह्रास

- मसौदा विधेयक ISI को "पंजीकृत सोसायटी" से "सांविधिक निकाय निगम" (**Statutory Body Corporate**) में बदलने का प्रस्ताव करता है।
- विरोधियों का तर्क है कि इससे:
  - संस्थान की **शैक्षणिक स्वतंत्रता कम** होगी।
  - **सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा।**
  - 1931 से स्थापित **स्वतंत्र चरित्र कमजोर** होगा।

2. पारदर्शिता का अभाव

- 1,500 से अधिक शिक्षाविदों ने मंत्री को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि:
  - 1959 के ISI अधिनियम को निरस्त करने का **कोई स्पष्ट कारण नहीं** दिया गया है।
  - प्रस्तावित विधेयक ISI की गवर्निंग सोसायटी और केंद्र सरकार के बीच हुए मूल समझौते का उल्लंघन करता है।

3. संघवाद संबंधी चिंताएँ

- ISI **पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961** के तहत पंजीकृत है।
- राज्य को शामिल किए बिना इस संरचना को बदलना **सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर** करने के रूप में देखा जा रहा है।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com
9235313184, 9235440806

4. शासन संरचना में बदलाव

मौजूदा व्यवस्था (1959 अधिनियम)	**प्रस्तावित व्यवस्था (2025 विधेयक)**
परिषद (Council) द्वारा शासित, जिसमें **मजबूत शैक्षणिक प्रतिनिधित्व** है।	**शासकों के बोर्ड (BoG)** को अधिकार हस्तांतरित।
अत्यधिक **सरकारी नियंत्रण के खिलाफ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय।**	BoG पर **केंद्र सरकार के नामित सदस्यों का वर्चस्व।**
	शैक्षणिक और संकाय **प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय कमी।**

- आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव ISI की शैक्षणिक नेतृत्व वाले शासन की परंपरा को खतरे में डालता है।

5. फंडिंग मॉडल और मूलभूत अनुसंधान पर खतरा

- विधेयक एक कॉरपोरेट-शैली के राजस्व मॉडल को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं:
  - उच्च शुल्क

    - परामर्श सेवाएँ (Consultancy services)
    - प्रायोजित अनुसंधान
- शिक्षाविदों को डर है कि लंबे समय तक चलने वाले **बुनियादी अनुसंधान (Basic Research)**, जो समय लेने वाले और गैर-वाणिज्यिक होते हैं, **पीछे छूट सकते हैं।**

6. नियुक्तियों पर नियंत्रण

- प्रस्तावित BoG सभी नियुक्तियों को नियंत्रित करेगा, जिससे पहले का वह प्रावधान समाप्त हो जाएगा जहाँ ISI के पास 10 आंतरिक प्रतिनिधि थे।
- चिंताओं में शामिल हैं:
    - **राजनीतिक हस्तक्षेप**
    - **शैक्षणिक तटस्थता का ह्रास**
    - **योग्यता-आधारित भर्ती का क्षरण**

IAS-PCS Institute

सरकार का पक्ष क्या है?

वैश्विक उत्कृष्टता का विज़न

- MoSPI का कहना है कि सुधारों का उद्देश्य यह है:
    - ISI को **2031 (इसकी शताब्दी वर्ष)** तक एक **वैश्विक लीडर** में बदलना।
    - शासन को आधुनिक बनाना।
    - शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करना।

समिति की सिफारिशें

- दशकों से चार विशेषज्ञ समितियों ने ISI की समीक्षा की है।
- **माशेल्कर समिति (2020)** ने दृढ़ता से सिफारिश की थी:
    - बेहतर शासन
    - विस्तारित शैक्षणिक पेशकश
    - बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता
- सरकार का तर्क है कि विधेयक केवल इन लंबे समय से लंबित सिफारिशों को लागू कर रहा है।

www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

आगे क्या?

- छात्र और संकाय विधेयक को रोकने के लिए राजनीतिक समर्थन मांग रहे हैं।
- डी. रविकुमार जैसे सांसदों और टीएमसी (TMC) तथा सीपीआई(एम) (CPI(M)) जैसी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध व्यक्त किया है।
- यदि इसे संसद में पेश किया जाता है, तो विधेयक में **महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोध** देखने को मिल सकता है।

मुख्य मुद्दे एक नज़र में

- **स्वायत्तता** बनाम **सरकारी निगरानी**
- **संघवाद** बनाम **केंद्रीकरण**
- **बुनियादी अनुसंधान** बनाम **कॉर्पोरेट फंडिंग मॉडल**
- **शैक्षणिक प्रतिनिधित्व** बनाम **नौकरशाही नियंत्रण**
- **आधुनिकीकरण** बनाम **परंपरा**

आगे की राह (Way Forward)

1. जवाबदेही के साथ स्वायत्तता बनाए रखना

- ISI की शैक्षणिक स्वतंत्रता को बनाए रखें।
- प्रशासनिक अधिग्रहण के बजाय **पारदर्शी रिपोर्टिंग** के माध्यम से जवाबदेही पेश करें।

2. संतुलित शासन

- शासकों के बोर्ड में **संकाय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** करें।
- सरकारी नामितों में शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण से बचें।

3. बुनियादी अनुसंधान की सुरक्षा

- **दीर्घकालिक अनुसंधान के लिए एक समर्पित फंडिंग विंडो** बनाएँ।
- परामर्श और बाजार-प्रेरित परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता को रोकें।

4. सहकारी संघवाद का सम्मान

- **पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श** करें।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करें।

5. क्रमिक सुधार

- मौजूदा व्यवस्था को **तोड़े बिना** समितियों की सिफारिशों को लागू करें।
- विधेयक पारित करने से पहले **हितधारक संवाद** को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

ISI विधेयक, 2025 ने **शैक्षणिक स्वायत्तता, संघीय सिद्धांतों** और भारत में **अनुसंधान संस्थानों के भविष्य** पर एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है। जबकि आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता महत्वपूर्ण हैं, उन्हें **संस्थागत स्वतंत्रता** के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जो लगभग एक सदी से ISI की विरासत की नींव रही है।

एक **परामर्शपूर्ण, पारदर्शी और संतुलित दृष्टिकोण** यह सुनिश्चित करेगा कि ISI उन मूल्यों से समझौता किए बिना विकसित हो जो इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाते हैं।

IAS-PCS Ins
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र। "भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) विधेयक, 2025 का मसौदा शैक्षणिक स्वायत्तता और सरकारी निगरानी के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावों को पुनर्जीवित करता है।" शिक्षाविदों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करें और प्रस्तावित सुधारों के पीछे सरकार के तर्क का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

IAS-PCS Institute

Result Mitra

रिजल्ट का साथी

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806